

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

श्यामलाल बनाम रामेश्वर वर्मा  
 कदमा दावा मुकदमा नं० ५५ सन् 2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
2 5	<p>17<sup>04</sup>/<sub>18</sub> वकील वादी श्री विक्रम कुमार शर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। साथ दर्ज रजि-टर किया जाने। प्रतिवादीगण की तलबी जरूर सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18-05-2018 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली राजस्व लोड अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाने पर कैंप स्थूल अदालत सेवा केन्द्र कोर्टीयु में पेश है।</p> <p>04<sup>05</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली आज राजस्व लोड अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत कैम्प स्थूल अदालत सेवा केन्द्र, कोर्टी लुहाखाम में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपर। प्रदर्शन में प्रतिवादी सं० 5 श्रमिधारी तहसीलदार जखेला से रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी सं० 1 तथा ने तहसीलदार जखेला के समक्ष पान दर्ज करके कि सुरजाराय, गीगाराम, गणपत लीने जके भाई थे। लीने ही कौन हो चुके हैं। गीगाराम माझौलाद थे। अपनी मृत्यु से पूर्व गीगाराम ने अपने भाई गणपत के पुत्र श्यामलाल को गोद लिया था। मृत्यु गीगाराम के हिस्से की श्रमि श्यामलाल पुत्र गणपत के नाम दर्ज हो गई जबकि श्रमि गीगाराम की थी। खोतेदारी श्यामलाल पुत्र गणपत के स्थान पर श्यामलाल पुत्र गीगाराम के नाम दर्ज होनी चाहिए।</p> <p>प्रतिवादी सं० 1 तथा 4 के बचने के आधार पर तथा लोड अदालत की शर्तों से वादी का वाद लंबीका किया जाने योग्य</p>	<p>3108-312 31/5/18</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पाया जाने पर लबीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम कोटड़ी लुहाशवात तहसील जयपुर जिला सीकर (राज) अवस्थित कृषि भूमि पर नं० 3747, 3762 ता 3764, 3767, 3768, 3770, 3772, 3841/4207 रकबा 6.29 हे० में कदी का नाम "श्यामलाल पुत्र ठाणपत" के पत्न पर "श्यामलाल दत्त पुत्र गीणाराम" दुरुस्त किया जाता है। इम्तानुसार राजाण रेकार्ड में अम्स परामद हो तपनुागर प्रकरण में पर्चा डिडी सुरीबि हो। परावली कुमल कुमार होठल नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04-05-2018 को मजसे आम सुनाया गया।

प्राजा  
Comp - श्री/कुचालासे

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... खण्डेला (सीकर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

① श्यामलाल ख. बनानेवा ① रामेश्वर पुत्र सुरजाराम ख.

दावा बाबत जोषणा व प्रकृति रिपोर्ट

मुकदमा नम्बर :- 55/2018

निर्णय दिनांक :- 04-05-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS

व हाजिरी ..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री विक्रम कुमार शर्मा ख.

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम कोटड़ी लुहारवात तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
अवस्थित कृषि भूमि प्लॉट नं० 3757, 3762 ता 3764, 3767, 3768,  
3770, 3772, 3851/4207 रकबा 6.29 है. में वादी का नाम  
"श्यामलाल पुत्र गणपत" के न्याय पर "श्यामलाल पुत्र  
गणेशाराम" प्रकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजान रिपोर्ट  
में अमल दस्तावेज है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 04.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(भागीरथ शाख)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला(सीकर)

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	अर्जी के लिए स्टाम्प
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	प्लीडर की फीस
6 कमिश्नर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय
7 आदेशिका की तामील	आदेशिका की तामील
जोड़	जोड़

\* पतञ्ज पुत्र श्री गीशाराम जाति अहीर निवासी  
ग्राम कोरगी लुहारवास तहसील जळेल जिला  
सीकर (राज०)

- (वादी)

जनास

- \* २ रामकरण पुत्र गणपत  
३ बनवारी पुत्र गणपत  
५ प्रभू पुत्र गणपत

समानत जाति अहीर निवासीगण ग्राम कोरगी  
लुहारवास तहसील जळेल जिला सीकर (राज०)

- ७ वैठ होल्डर जरिफ तहसीलदार जळेल जिला  
सीकर (राज०)

- (प्रतिवादीगण)

प. गीश  
कोरगी  
लुहारवास